न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री दिनेश आचार्य आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः–01 / 2023 B

तारीख दायर–09.06.2023

तारीख–निर्णय–13.03.2026

1. श्रीमती दमली मीणा पत्नी भगवानलाल मीणा निवासी सती की चोरी (बेडावल) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती रूकमणी पत्नी वजीया मीणा निवासी सती की चोरी (बेडावल) तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत सती की चोरी जरिये सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी तहसील लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

...........रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी निर्णय ग्राम पंचायत सती की चोरी नामान्तरण संख्या 12 दिनांक 20.03.2023

उपस्थित– अपीलान्ट की ओर से– अधिवक्ता श्री अभिमन्यु जाट

रेस्पोडेन्टगण ओर से–अनुपस्थित

–: :निर्णय : :–

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय विद्वान अधीनस्थ ग्राम पंचायत सती की चोरी व पटवार हल्का पटवार मण्डल बेडावल ए का निर्णय न्याय एवं कानुन के विपरीत है। अपीलाण्ट की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात राजस्व ग्राम भीमा गांव पटवार हलका बेडावल ए की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 09 व पुराना 04 में वर्णित आराजीयात 10 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5 रकबा 0.1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 7 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 8 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, किता 09 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 10 में वर्णीत आराजी 11 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, भूमि स्थित है। जिनमें से खाता संख्या 09 में वर्णित आराजीयात में सम्पूर्ण क्षेत्रफला 0.7300 हैक्टेयर भूमि तथा खाता संख्या 10 में वर्णित आराजी 11 रकबा 0.0900 हैक्टेयर में से 9 / 10 हिस्सा अपिलाण्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 16. 09.2022 को उप पंजीयक लसाडिया में निष्पादित किया गया । विक्रय पत्र में वर्णित आराजी नम्बर पर कब्जा काश्त उपयोग–उपभोग अपीलान्टस का निरन्तर है। अपिलान्ट्स द्वारा क्रय की गई कृषि भूमि का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु ग्राम पंचायत सतीकी चोरी (अधिनस्थ न्यायालय) में आवेदन किया गया था, जिस पर दिनांक 20.02.2023 को टिप्पणी की गई **नामान्तरणकरण कोरम में पेश हुआ , जिस पर विचार–विमर्स किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नामांतरणकरण भीमा गांव 12 को अगली कोरम में पेश करें।** जिस पर 20.03.2023 को अधिनस्थ न्यायालय की कोरम आहुत की गई जिसमें नामांतरकरण संख्या 12 को निरस्त कर दिया गया, जिससे दुखी एवं पिडित होकर सुनवाई का क्षेत्राधिकार आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त अपिल आप न्यायालय में निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है की अधिनस्थ

उपखण्ड आधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.03.2023 की जानकारी अपीलान्ट्स को सर्व प्रथम माह अप्रेल 2023 के प्रथम सप्ताह में हुई जिस पर अपीलान्ट्स ने नकल की प्रती प्राप्त करने के लिए आवेदन किया पटवारी हल्का द्वारा नामांन्तरकरण की नकल अपीलान्ट्स को निर्धारित समय में उपलब्ध नही कराई अपील समयावधि में पेश नही हो पाई जिसके लिए धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक अधिकारों को समझे बिना अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुए उक्त निर्णय पारित किया गया जो निरस्त योग्य है

अपीलाण्ट द्वारा आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार होने से आप न्यायालय में उक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है।इसलिये अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः निवेदन किया गया अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत का निर्णय खारीज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन मय नकल अपील के तलब किये गये। रेस्पोडेन्टगण द्वारा न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया की उदयलाल, शंकरलाल, धनराज व परता ने अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कीया उसमें यह बतया की रजिस्ट्री गलत की गई कब्जा हमारा है, कोरम के वक्त प्रार्थीगण भी उपस्थित हुए और उन्होने कहा की उपखण्ड न्यायालय में अपील कर रखी है एवं कागजाद लाकर पेश करेंगे इस पर कोरम में दस्तावेज पेश करने के लिए कहा ताकी सही ढग से निर्णय दिया जा सके। अगली कोरम में दिनांक 20.03.2023 को अपील की नकल , खाते की नकल पेश की जिस पर पंचायत में विचार विमर्स किया गया एवं सर्व सम्मति से निर्णय किया जाकर न्यायालय के फैसला आने का इन्तजार किया जावे एवं नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें। पंचायत पक्षकारान के विवाद में नही पडना चाहती उपखण्ड न्यायालय के आदेश के बाद विक्रय हुई है और आदेश की अपील चल रही है। इन सभी परिस्थियों को देखते हुए पंचायत ने नामान्तरकरण फैसल नही किया । तत्पश्चात् भूमिधारी तहसीलदार लसाडिया से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार लसाडिया से उक्त प्रकरण में मौका स्थिति एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम भीमा गांव पटवार हलका बेडावल ए की जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 के खाता संख्या नया 09 व पुराना 04 में वर्णित आराजीयात 10 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2 रकबा 0.1300 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 3 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 4 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 5 रकबा 0. 1100 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 6 रकबा 0.0800 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 7 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 8 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 9 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, किता 09 कुल रकबा 0.7300 हैक्टेयर भूमि एवं खाता संख्या 10 में वर्णीत आराजी 11 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, भूमि श्रीमती दमली पत्नी भगवाना हिस्सा 09/20 व श्रीमती रूकमणी पत्नी वजीया का हिस्सा 09/20 के नाम दर्ज हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक देवलीया से स्वीकृत होकर ग्राम पंचायत सती की चोरी के कोरम में पेश हुआ । उक्त ग्राम पंचायत की कोरम दिनांक 20.03.2023 को उक्त नामान्तरकरण पेश हुआ जो विवादग्रस्त होने से उक्त नामान्तरकण को निरस्त कर दिया गया। राजस्व ग्राम भीमागांव के खसरा नम्बर 2,3,10,11 पर श्री धनराज पिता गेबा, तथा खसरा नम्बर 4,5 पर श्री उदयलाल पिता तेजपाल, व खसरा नम्बर 6,7 पर श्री परता पिता पांचा एवं खसरा नम्बर 8,9 पर श्री शंकर पिता भेरा का कब्जा है। तत्पश्चात अपीलाण्ट अधिवक्ता की बहस सुनी गई अपीलाण्ट अधिवक्ता ने अपनी बहस में वही कथन किये जो अपील में वर्णीत है।

तहसीलदार लसाडिया की जांच रिपोर्ट व विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है **अतः अपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील साबित पाये जाने से स्वीकार की जाती है एवं नामान्तरकरण संख्या 12 दिनांक 20.03.2023 ग्राम पंचायत सती की चोरी का निर्णय अपास्त किया जाता है । पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लसाडिया को रिमांण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है की दोनो पक्षों की सुनवाई की जाकर नियमानुसार निर्णय पारित करें।**

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलूम्बर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

(दिनेश आचार्य **RAS**)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)